



[1]

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)**पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन****(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)**

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग

(धनराशि लाख रुपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूँजीगत पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनोंक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनोंक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग
1	2	3	4	5	6
4059-01-051-22-00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 22-लखनऊ जनपद के हजरतगंज में ओलिवर रोड पर स्थित भूमि पर बहुमंजिला एकीकृत आधुनिक परिवहन भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य	1500.00	1500.00	1400.00	1400.00	100.00
योग-	1500.00	1500.00	1400.00	1400.00	100.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रुपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूँजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059-01-051-21-00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 21-परिक्षेत्रीय/संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली,					

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण।	3000.00	4400.00	1400.00	1400.00	4400.00
24-वृहत निर्माण कार्य					
योग -	3000.00	4400.00	1400.00	1400.00	4400.00

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैं:-

लखनऊ जनपद के हजरतगंज स्थित ओलिवर रोड पर नजूल भूमि खसरा संख्या 152 (भाग), क्षेत्रफल 29295 वर्ग फिट भूमि पर बहुमंजिला आधुनिक परिवहन भवन बनाये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें मा० परिवहन मंत्री जी, प्रमुख सचिव परिवहन विभाग, परिवहन आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय तथा आधुनिक आडिटोरियम, ट्रेनिंग सेंटर, मीटिंग हॉल, कन्ट्रोल रूम, पार्किंग स्थल व सड़क सुरक्षा के कार्यों को संचालित किये जाने हेतु एकीकृत कार्यालय का निर्माण कराया जाना था। प्रश्नगत निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड पर कराया जाना प्रस्तावित था।

प्रश्नगत परियोजना हेतु परामर्शी चयन प्रक्रिया में प्रस्तुतीकरण के दौरान दिनांक 12.09.2024 को ई०पी०सी० मोड पर कराये जा रहे कार्यों हेतु नियोजन विभाग की परामर्शी चयन समिति के समक्ष निविदादाताओं (परामर्शियों) द्वारा अवगत कराया गया कि जिस भू-स्थल पर उपरोक्त परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना है वह Ancient Monuments & Archeological Sites & Remains (Amendment and validation) Act 2010 से आच्छादित British Cemetery at Chiria Jhil, Sapru Marg, Lucknow साईट से 100 मी० की परिधि के क्षेत्र में आ रहा है, जिसको उक्त एक्ट के प्राविधानों के अनुसार Prohibited Area for Construction घोषित किया गया है। अतः उपरोक्त के क्रम में परामर्शी चयन प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार उत्पन्न हुई परिस्थिति के दृष्टिगत परामर्शी मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि :-

"Consultant Evaluation Committee is of the opinion that the matter regarding provisions of Ancient Monuments and Archaeological Sites and remains (Amendment and Validation) Act, 2010 for the aforesaid project should be sent to the Transport Department, Govt. of U.P. so that suitable decision can be taken and also recommended that the financial bid of the following technically qualified bidders should be opened only after final decision of the Transport Department, GoUP."

उक्त के कारण मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई०पी०सी० मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 01.10.2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर विचार विमर्श कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निर्णय लिए जाने हेतु प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.2024 को बैठक आहूत की गयी। शासन के पत्र दिनांक 17.10.2024 द्वारा बैठक में प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रकरण में कार्यालय परिवहन आयुक्त से चयनित भूमि के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, लखनऊ से अनुरोध किए जाने हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए, शासन के उक्त के क्रम में अपर आयुक्त (प्रशासन) लखनऊ मंडल लखनऊ के पत्र दिनांक 19.03.2025 के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 25.02.2025 को संलग्न कर अवगत कराया गया कि बहुमंजिला आधुनिक परिवहन भवन के निर्माण का प्रस्तावित स्थल केन्द्रीय संरक्षित स्मारक ब्रिटिश कब्रिस्तान चिरैया झील (सपू मार्ग) हजरतगंज लखनऊ की संरक्षित सीमा से 36.00 मीटर की दूरी पर है जो AMASR Act, 1958 (जैसा कि 2010 में संशोधित किया गया) की धारा-20ए (1) के प्राविधानों के अनुसार उक्त केन्द्रीय संरक्षित स्मारक (CPM) के निषिद्ध क्षेत्र में है। इसके अलावा AMASR Act, 1958 की धारा-20ए (1) के अनुसार किसी भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक कार्य या परियोजना या अन्य निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्य हेतु व्यवस्थित धनराशि का समुचित उपयोग किये जाने के संबंध में निर्माणाधीन सारथी हॉल सहित कार्यालयों हेतु व्यय किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि निर्माणाधीन कार्यालयों को शीघ्र पूर्ण कराया जा सके।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रेषित कुल विभागीय आय-व्यय अनुमान के प्रस्ताव में परिक्षेत्रीय / संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गांजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु संबंधित मद में धनराशि ₹ 7510.68 लाख का अनुमान प्रेषित किया गया था, जिसके सापेक्ष ₹ 3000.00 लाख का मूल बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्ष 4059-01-051-21 परिक्षेत्रीय / संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गांजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड, देवरिया, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चन्दौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य हेतु धनराशि ₹ 3000.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष अब तक धनराशि ₹ 2724.755 लाख का आवंटन / आहरण किया जा चुका है तथा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, सम्भल हेतु द्वितीय किशत के रूप में संबंधित मद में शेष धनराशि ₹ 275.245 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष माहों के लिए मद संख्या-24-वृहत निर्माण कार्य में धनराशि ₹ 1400.00 लाख की देयता आकलित / अनुमानित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-247, दिनांक 20 जनवरी, 2026

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या-12 /2026/2901/तीस-3-2025 दिनांक 21 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 7- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।